

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

चरचा में क्यौं?

19 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में शराब को हतोत्साहति करने के नरिणय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद ने प्रदेश में शराब को हतोत्साहति करने के लयि कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि हैं।
- प्रदेश में शराब के सभी अहाते और शॉप बार बंद कयि जाएंगे।
- मदरिा दुकानों में बैठकर मदरिा पीने की अनुमति नहीं होगी।
- शराब की दुकान के लयि शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के आसपास के 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर कयि जाएगा।
- शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइवगि लाइसेंस नलिंबति करने एवं सजा के प्रावधान कड़े कयि जाएंगे।
- मंत्र-परिषद ने राजस्व पुस्तक परपितर 6-4 परशिषिट-1 में संशोधन करते हुए राहत राशा में वृद्धि करने का नरिणय लयि है।
- नरिणय अनुसार शरीर के कसी अंग अथवा आँख/आँखों की हानि के लयि 40% और 60% तक अपंगता होने पर 59 हज़ार 100 रुपए के स्थान पर 74 हज़ार रुपए प्रतिव्यक्ति तथा 60% से अधिक अपंगता होने पर 2 लाख रुपए के स्थान पर 2 लाख 50 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- इसी तरह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक सप्ताह से अधिक दिनों तक अस्पताल में भरती रहने पर 12 हज़ार 700 रुपए के स्थान पर 16 हज़ार रुपए प्रतिव्यक्ति तथा एक सप्ताह से कम अवधि के लयि अस्पताल में भरती होने पर 4 हज़ार 300 रुपए के स्थान पर 5 हज़ार 400 रुपए प्रतिव्यक्ति दयि जाएगा।

बाढ़ की स्थिति में भूमि और अन्य नुकसान के लयि सहायता-

- कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत या पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर पहाड़ी कषेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबा हटाने के लयि, फशि फार्म में डसिल्टगि या पुनस्थापन अथवा मरममत सफाई के लयि राहत 12 हज़ार 200 रुपए के स्थान पर 18 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर दयि जाएगा।
- इसी तरह भूस्खलन, हमिस्खलन, नदियों के रास्ता बदलने के कारण सीमांत या लघु कृषक के भूमि स्वामति की भूमि के नष्ट होने पर राहत 37 हज़ार 500 रुपए के स्थान पर 47 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर दयि जाएगा।

पशु-पक्षी (मुरगा/मुरगी) हानि के लयि आर्थिक सहायता-

- दुधारू पशु गाय/भैंस/ऊँट आदि के लयि राहत राशा 30 हज़ार प्रति पशु के स्थान पर 37 हज़ार 500 रुपए एवं भेड़ बकरी/ सूअर के लयि राहत 3 हज़ार रुपए के स्थान पर 4 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- गैर-दुधारू पशु ऊँट/घोड़ा/बैल/भैंसा आदि के लयि राहत राशा 25 हज़ार रुपए प्रति पशु के स्थान पर 32 हज़ार रुपए प्रति पशु कयि जाएगा एवं बछड़ा (गाय, भैंस)/ गधा/पोनी/ खच्चर हेतु राहत 16 हज़ार रुपए प्रति पशु के स्थान पर 20 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- अस्थायी पशु शविरि में रखे गए बड़े पशुओं के लयि 70 रुपए पशु प्रति दिवस के स्थान पर 80 रुपए एवं छोटे पशुओं के 35 रुपए प्रति पशु प्रति दिवस के स्थान पर 45 रुपए दयि जाएगा।
- इसी तरह पक्षी (मुरगी/ मुरगा) हानि के लयि 60 रुपए (10 सप्ताह से अधिक आयु के) प्रति पक्षी के स्थान पर 100 रुपए प्रति पक्षी दयि जाएगा।

बाढ़ एवं तूफान से प्रभावति मछुआरों को दी जाने वाली सहायता-

- नाव की आंशिक क्षति होने पर मरममत के लयि 4 हज़ार 100 रुपए के स्थान पर 6 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- जाल या अन्य उपकरणों की मरममत के लयि 2 हज़ार 100 रुपए के स्थान पर 3 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- नाव नष्ट होने पर 12 हज़ार रुपए के स्थान पर 15 हज़ार रुपए दयि जाएगा।
- इसी तरह नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतविषट, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट होने पर प्रभावति को 8 हज़ार 200 रुपए के स्थान पर 10 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर दयि जाएगा।

बुनकरों/हस्तशलिपियों को दी जाने वाली सहायता-

- नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार और उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने पर प्रतिबुनकर/शिल्पी हेतु राहत राशि अधिकतम 4 हजार 100 रुपए के स्थान पर 5 हजार रुपए प्रतिशिल्पकार दिया जाएगा।

नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता-

- पूर्ण नष्ट (मरममत योग्य नहीं) और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहाँ क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) पक्के/कच्चे मकान के लिये वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर राहत राशि अधिकतम 95 हजार 100 रुपए के स्थान पर मैदानी इलाकों में 1 लाख 20 हजार एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हजार रुपए दी जाएगी।
- झुग्गी झोपड़ी (झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से नमिनतर फूस मट्टी प्लास्टिक सीट आदि से नर्मित घर) पूर्ण नष्ट होने पर राहत राशि 6 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपए दी जाएगी।
- इसी तरह आशक क्षतिग्रस्त (जहाँ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो) पक्के मकान के लिये राहत राशि 5 हजार 200 के स्थान पर 6 हजार 500 रुपए एवं कच्चे मकान के लिये 3 हजार 200 के स्थान पर 4 हजार रुपए दी जाएगी। साथ ही मकान से संलग्न पशु घर के लिये राहत राशि 2 हजार 100 के स्थान पर 3 हजार रुपए प्रतिपशु घर दी जाएगी।
- मंत्र-परिषद ने नगर पालिका नगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की कतपिय धाराओं में संशोधन किये जाने के लिये म.प्र. नगर पालिका वधि (संशोधन) वधियक 2023 को मंजूरी दी है। यह वधियक वधि के अंतर्गत प्रशासति अधिनियमों के कतपिय प्रावधानों को डकिरमिनालाइज करने के संबंध में लाया जा रहा है।
- मंत्र-परिषद ने मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्त (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदाय किये जाना) संशोधन वधियक 2023 को मंजूरी दी है। इससे शहरों में गरीबों की आवास की समस्या के नरिाकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्त (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदाय किये जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत गरीबों को आवासीय भूमि के पट्टे देने की पात्रता तथि में वृद्धिकरके कटऑफ तथि 31 दसिंबर, 2014 से 31 दसिंबर, 2020 की जा रही है।
- मंत्र-परिषद ने ग्वालियर में नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीण के सृजन को मंजूरी दी है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-cabinet-meeting-chaired-by-the-chief-minister>

